

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक: 11/03/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत चतुर्थ किस्त केन्द्रांश की कुल राशि-37909.64 लाख (तीन सौ उन्नासी करोड़ नौ लाख चौसठ हजार रू0 मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत चतुर्थ किस्त केन्द्रांश की कुल राशि-37909.64 लाख (तीन सौ उन्नासी करोड़ नौ लाख चौसठ हजार रू0 मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के संकल्प-2199 दिनांक 24.03.2017 में वर्णित दिशा-निर्देश के आलोक में उक्त राशि भारत सरकार द्वारा राज्य के मध्याह्न भोजन योजना हेतु सहायता/अंशदान/अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

2. भारत सरकार द्वारा राज्य के मध्याह्न भोजन योजना हेतु F.No.17-4/2025-PMP-1/ दिनांक 26.02.2026 के द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में कुल-37909.64 लाख (तीन सौ उन्नासी करोड़ नौ लाख चौसठ हजार रू0 मात्र) की विमुक्त किया गया है। उक्त राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति अपेक्षित है।

3. अतः उक्त कडिका-02 में अंकित भारत सरकार द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि कुल-37909.64 लाख (तीन सौ उन्नासी करोड़ नौ लाख चौसठ हजार रू0 मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित है। पी0एम0 पोषण योजना के विभिन्न मदों में केन्द्रांश की राशि निकासी हेतु निम्नवत् है:-

(राशि लाख में)

क्रम सं०	मद	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक	कुल
1	खाद्यान्न	2022.42	2022.42
2	परिवर्तन मूल्य	30392.43	30392.43
3	रसोईया-सह-सहायक का मानदेय	3679.74	3679.74
4	परिवहन-सह-हथालन	818.40	818.40
5	प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	996.65	996.65
	कुल योग	37909.64	37909.64

5. उक्त कडिका-04 में अंकित राशि की निकासी निम्नलिखित केन्द्रांश बजट शीर्ष से की जाएगी:-

बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता-
केन्द्रांश बजट शीर्ष :-

12

(i) केन्द्रांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि-28811.33 लाख (दो सौ अठ्ठासी करोड़ ग्यारह लाख तेतीस हजार रू० मात्र) की निकासी माँग संख्या- 21 मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण), उपशीर्ष-0203 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण) विपत्र कोड-21-2202011120203 के अधीन विषय शीर्ष "31 06-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 10,84,47,00,000/- (एक हजार चौरासी करोड़ सैंतालीस लाख रू० मात्र) से होगा।

(ii) केन्द्रांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि-8340.12 लाख (तेरासी करोड़ चालीस लाख बारह हजार रू० मात्र) की निकासी माँग संख्या- 21 मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0209, मध्याह्न भोजन योजना (प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) विपत्र कोड-21-2202017890209 के अधीन विषय शीर्ष "31 06-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 4,06,73,00,000/- (चार सौ छः करोड़ तिहत्तर लाख रू० मात्र) से होगा।

(iii) केन्द्रांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि-758.19 लाख (सात करोड़ अठावन लाख उन्नीस हजार रू० मात्र) की निकासी माँग संख्या- 21 मुख्य शीर्ष 2202 -सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-796 जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0210, मध्याह्न भोजन योजना (प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) विपत्र कोड-21-2202017960210 के अधीन विषय शीर्ष "31 06-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि-46,12,00,000/- (छियालीस करोड़ बारह लाख रू० मात्र) से होगा।

6. स्वीकृत राशि का आवंटन बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा एवं राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से की जाएगी तथा वे सम्पूर्ण राशि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना के नाम HDFC बैंक, राजा बाजार शाखा, खाता सं०-50100440240486 में सीधे CFMS के माध्यम से अंतरित किया जाना है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुसार जिलों के बीच राशि का उपावंटन किया जाएगा तथा PFMS के द्वारा लिमिट सेट कर जिलों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

7. कार्यक्रम का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड साधन सेवी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला पदाधिकारी एवं इस योजना के लिये संविदा पर नियुक्त अन्य कर्मियों तथा राज्य स्तर पर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा किया जायेगा। राशि प्राप्ति तथा उसके व्यय के पश्चात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना शीघ्र इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त कंडिका-05 में अंकित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग स्थायी आदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में की जाएगी।

9. वित्त विभाग का संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-05 क (ii) के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

10. बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम-269 के अनुसार अंशदान (Contribution) की राशि जो स्वायत्त निकाय (autonomous bodies) को उपलब्ध कराया जाना है को अनुदान (Grants-in-aid) की श्रेणी में रखा गया है। कंडिका-05 में अंकित केन्द्रांश की राशि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पी०एम० पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) हेतु अंशदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है तथा यह राशि अनुदान की राशि है जिसकी निकासी बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जाएगी तथा नियम 271 के अनुसार BTC Form-42A में स्वीकृति पदाधिकारी समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करेंगे और उसे विभाग के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाएगा।

11. इस राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept- 8.9./टि० पर प्राप्त है।

13. निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०:-

(अजय सतीश भेंगरा)

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक :- — BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept / पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- — BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept / पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept / पटना, दिनांक.....

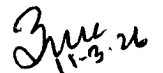
प्रतिलिपि :- निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05/सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म० भ० य०, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- — BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept 379 / पटना, दिनांक 11/03/2026

प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

